an>

Title: Need to declare chikungunya as an epidemic and take preventive measures.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): अध्यक्ष महोदया, हर वर्ष चिकुनगुनिया तथा डेंगू का प्रकोप जून-जुलाई से प्रारम्भ हो कर अक्टूबर-नवम्बर तक देश में रहता है। गत् वर्ष इन बीमारियों ने महामारी का रूप ले लिया था। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक तथा देश के कुछ अन्य राज्यों में विशेÂषकर दिल्ली में भी इस बीमारी की इतनी गंभीरता थी कि सुप्रीम कोर्ट को भी इस संबंध में टिप्पणी करनी पड़ी थी। उत्तर प्रदेश की तत्कालीन लापरवाह प्रदेश सरकार ने बजट होने के बावजूद डेंगू एवं चिकुनगुनिया बीमारी की रोकथाम के इंतजाम नहीं किए थे। इस संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यहां तक कहा था कि क्यों न यहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। बीमारी के बारे में जानने के लिए खून की जांच करने की समुचित व्यवस्था भी नहीं थी। बीमार होने पर चिकित्सा की व्यवस्था नहीं थी और इस बीमारी का ठीक से रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया जाता था तथा न ही किसी प्रकार के आंकड़े रखे गए। इस सबके बावजूद भी करीब 15 हजार लोगों की पहचान की गई कि ये डेंगू तथा चिकुनगुनिया से बीमार हुए हैं।

महोदय, आपकी प्रेरणा से संसद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत स्वास्थ्य विषय पर चर्चा चल रही है। मेरा आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध है कि इस बीमारी को महामारी के रूप में मानकर समय रहते बीमारी की रोकथाम के व्यापक उपाय किए जाएं तथा बीमार नागरिकों को तुरंत चिकित्सा व्यवस्था मुहैया कराई जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री ओम बिरला, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री शरद त्रिपाठी को श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।